राजधानी
वर्ष 12 | अंक 141 | पृष्ठ : 16+8=24
मूल्य : चार रुपये
6 राज्य • 2 केंद्रशासित प्रदेश • 21 संस्करण

अमर उजाला

लखनऊ
सोमवार, 18 नवंबर 2019

'रेरा के आने के बाद से बिल्डरों की मनमानी पर लगी है रोक'

द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में आयोजित कार्यक्रम में बोले रेरा सदस्य

रिवरबैंक कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में रेरा के सदस्य व पूर्व आईपीएस भानु प्रताप सिंह

माई सिटी रिपोर्टर

लखनऊ। रेरा के आने से पहले बिल्डरों मनमानी करने में लगे थे। बिना ले-आउट, जरूरी अनुमति और जमीन खरीदे ही लोगों के साथ फ्रॉड कर उन्हें भूखंड व फ्लैट बेच दिए जाते थे। कई साल के बाद लोगों को उनके साथ हुए फ्रॉड की जानकारी मिलती। रेरा ने इस फ्रॉड पर ब्रेक लगाने का काम किया।

रविवार को द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, रिवरबैंक कॉलोनी में रेरा के सदस्य व पूर्व आईपीएस भानु प्रताप सिंह ने यह बातें कहीं। मुख्य वक्ता भानु प्रताप सिंह ने कहा कि रेरा कानून लागू होने से रियल एस्टेट में नियंत्रण बढ़ा है। बिल्डरों के मुनाफा कमाने के लिए लोगों के साथ बैंक, रेग्युलेटर्स के साथ साठगांठ को रोका गया है। रेरा के लागू होने से बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगी है। घर खरीदने वालों के लिए पारदर्शिता एवं घरों के मानकीकरण का दोहरा फायदा मिला है।

अब तक आईं 20 हजार शिकायतें

रेरा में अभी तक 20 हजार से अधिक शिकायतें आई हैं। इनमें से आधी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। उनका कहना है कि देश में 8.30 करोड़ रु पये की आवासीय संपत्तियां बिना बिके पड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों को किराया चुका कर रहना पड़ रहा है। रियल एस्टेट को समझना होगा कि अभी अपार संभावनाएं निर्माण में हैं। कार्यक्रम में संस्थान के पूर्व अध्यक्ष वीबी सिंह ने कहा कि अब भी यह देखने में आ रहा है कि रेरा के आदेश का अनुपालन बिल्डर नहीं कर रहे हैं। ऐसे में रेरा को और अधिकार दिए जाने की जरूरत है जिससे कि वह बिल्डरों से आदेश का अनुपालन कराए। बिल्डरों को बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देना होगा।